राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)विभाग

क्रमांक–प. 3(1)कार्मिक/क–2/2013 पार्ट   जयपुर, दिनांक : 28 MAY 2018

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

विषय–मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति के पश्चात ली जाने वाली टंकण परीक्षा के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 9 के अन्तर्गत नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष में टंकण परीक्षा (अंग्रेजी/हिन्दी) उत्तीर्ण किये जाने का प्रावधान है। प्रायः यह देखा गया है कि कार्मिकों द्वारा नियुक्ति के पश्चात निर्धारित समयावधि में उक्त कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की जा रही है और विभिन्न विभागों से ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारियों को समयावधि पश्चात टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कार्मिक विभाग से शिथिलन लिये जाने हेतु प्रकरण काफी मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे प्रकरणों में कार्मिक विभाग द्वारा शिथिलन प्रदान किये जाने से पूर्व कर्मचारी की टंकण गति की जांच करने हेतु इस विभाग में बुलाया जा रहा है और टंकण गति संतोषजनक होने पर ही उन्हें टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। अतः कार्मिक विभाग द्वारा अपनाई जा रही उक्त प्रकिया से समय एवं धन का अपव्यय होता है तथा प्रक्रिया में देरी होने के फलस्वरूप ऐसे कार्मिकों की समयावधि और अधिक बढ़ रही है। अतः इसके दृष्टिगत यदि कार्मिक विभाग द्वारा दिये जा रहे अवसरों का अधिकार संबंधित विभाग के प्रशासनिक विभाग को दिये जावें तो कार्मिकों को दिये जा रहे अवसर में देरी नहीं होगी और उनके द्वारा जल्द से जल्द टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की जा सकेगी तथा ऐसे प्रकरणों में कमी भी आयेगी।

अतः उक्तानुसार निर्धारित समयावधि के पश्चात टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कार्मिकों को दिये जा रहे शिथिलन की प्रकिया को सरल बनाये जाने के दृष्टिगत कार्मिक विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात अधिसूचना दिनांक 02.01.2017 के कम में शिथिलन का अधिकार संबंधित प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव यथास्थिति जैसे भी हो, को दिया जाना उचित समझा गया है।

अतः सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारी जिन्होंने राज0 मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम–9 (ii) के अनुसार निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, को समयावधि पश्चात टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम दो अवसर, संबधित विभाग के प्रशासनिक विभाग द्वारा दिया जावेगा। किन्तु अवसर दिये जाने से पूर्व प्रशासनिक विभाग के सचिव का यह दायित्व होगा कि वह प्रथमतः मृतक आश्रित कर्मचारी की टंकण गति संतोषजनक पाये जाने की सुनिश्चितता करेंगे। इस हेतु विभाग में कार्यरत संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सहायक शासन सचिव, टंकण गति हेतु मॉक टेस्ट लेंगे और गति संतोषजनक होने की दशा में ही उसे अवसर प्रदान किया जावेगा। ततपश्चात दो अवसर दिये जाने के पश्चात भी यदि कर्मचारी द्वारा किसी कारणवश टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की जाती है, तो प्रकरण पूर्ण तथ्यों के साथ कार्मिक विभाग को प्रस्तुत कर सकेंगे।

27/2018

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

(भास्कर ए. सावन्त)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

28/5/2018
संयुक्त शासन सचिव

27/2018